सीएए-एनआरसी से नाराज भाजपा के 76 मुस्लिम सदस्यों ने दिया इस्तीफा, बोले हिंदू-मुस्लिम मुद्दे पर हम कब तक फंसे रहेंगे?

नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहें हैं। लोग सड़कों पर हैं लेकिन अब खुद भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के मुस्लिम सदस्य अपने समुदाय से अलग होकर भाजपा का समर्थन नहीं करना चाहते हैं। इसके चलते बड़ी संख्या में असंतुष्ट सदस्य भाजपा से इस्तीफा दे रहे हैं।

नागरिकता अधिनियम के विरोध के चलते सदस्यों में फैले असंतोष के कारण मध्यप्रदेश में भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के 76 सदस्यों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले भी अल्पसंख्यक मोर्चा के 48 सदस्यों ने इस्तीफा दिया था। इसके बाद इस्तीफे की लहर हे चल पड़ी है।

द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार नागरिकता संशोधन अधिनियम तथा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर देश भर में चल रहे आंदोलनों से फैले असंतोष के चलते मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के 76 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया।

भोपाल जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष आदिल खान और राज्य के मीडिया प्रमुख जावेद बेग सहित अल्पसंख्यक सेल के 48 सदस्यों ने इससे पहले पद छोड़ दिया था। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के करीबी माने

जाने वाले राजिक कुरैशी फारशीवाला ने भी भाजपा छोड़ दी है। राजिक कुरैशी फारशीवाला ने कहा कि यह केवल हम ही जानते हैं कि हमारे समुदाय के लोगों को भाजपा को वोट देने के लिए मनाना कितना मुश्किल है। हम उन्हें मनाने के लिए सब कुछ करते हैं लेकिन सीएए, एनआरसी जैसे विवादास्पद मुद्दों पर भाजपा के रवैये से हमारे लिए लोगों से वोट मांगने में मुश्किल हो जाएगी।

फारशीवाला कहते हैं, 'हम हिंदू-मुस्लिम मुद्दों में कब तक फंसेंगे? क्या हमारे बच्चों को हायर ऐजुकेशन पूरा करने का मौका नहीं मिलेगा? हमने बाबरी मस्जिद-राम मंदिर मामले में पार्टी की सराहना की और ट्रिपल तलाक कानून का विरोध नहीं किया लेकिन कॉमन सिविल कोड जैसे अधिक विवादास्पद मुद्दे भविष्य में दिखाई देते हैं।

न्यूज 18 के अनुसार, 'इंदौर अल्पसंख्यक मोर्चा के महासचिव वसीम इकबाल खान कहना है, 'हम ट्रिपल तलाक, राम मंदिर-बाबरी मस्जिद, धारा 370 को निरस्त करने जैसे विवादास्पद मुद्दों के साथ अपने समुदाय के लोगों का साथ नहीं छोड़ सकते।''सीएए, एनआरसी और अन्य ऐसे कानून 85 प्रतिशत आबादी के मन में नफरत पैदा करने का प्रयास है जो उन लोगों के खिलाफ है जो देश की आबादी का लगभग 15 प्रतिशत हैं। हम देश के 31 प्रतिशत निरक्षर लोगों से अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वे आसानी से अपने नागरिकता के दस्तावेज पेश कर सकेंगे।'

उधर भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उन्हें इस्तीफे के बारे में पता नहीं है और उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत नेताओं से बात करेंगे। समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार विजयवर्गीय ने कहा, 'वे स्पष्ट रूप से निहित स्वार्थों द्वारा गुमराह किए गए हैं और पार्टी निश्चित रूप से चिंताओं को दूर करेगा।'

समान नागरिक कानून ऐसा कानून है जो देश के समस्त नागरिकों, चाहे वह किसी धर्म या क्षेत्र से संबंधित हों पर लागू होता है। यह किसी भी धर्म या जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर होता है। देशभर के सभी नागरिकों को चाहे वह किसी भी धर्म अथवा समुदाय का हो, सबके लिए एक जैसा ही क़ानून रहेगा।

बता दें कि भाजपा सरकार लगातार जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि सीएए मुसलमानों के ख़िलाफ नहीं है लेकिन इसके बावजूद हर कहीं मुस्लिम समुदाय सक्रिय रूप से आंदोलनों में नजर आ रहा है। साथ ही मुस्लिम समुदाय की महिलाएं जोर-शोर से भाग ले रहीं हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद, शाहीन बाग, लखनऊ के क्लॉक टॉवर पर मुस्लिम महिलाओं के प्रदर्शन इसके उदहारण हैं।

केंद्र सरकार मुस्लिम समाज को भरोसा दिलाती रही है कि नागरिकता संशोधन कानून भारत के किसी भी व्यक्ति की नागरिकता से कोई लेना-देना नहीं है लेकिन मुस्लिम समुदाय संतुष्ट नजर नहीं आता। लोगों को डर है कि नागरिकता संशोधन क़ानून के बाद केंद्र सरकार एनआरसी लाएगी और फिर उनको देश से बाहर कर दिया जाएगा या अपने ही देश में शरणार्थी बना दिया जाएगा।

जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी कह चुके हैं कि नागरिकता संशोधन क़ानून का हिंदुस्तान के मुसलमान से कोई लेना-देना नहीं है। प्रदर्शन करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है और कोई विरोध प्रदर्शन करने से नहीं रोक सकता है। कोई भी हमें यह करने से रोक नहीं सकता है। जरुरी है कि हम इसे नियंत्रण में रहकर शांतिपूर्वक करें तथा अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें। **-जनज्वार ब्यूरो**

जेपी नड्डा के स्वागत समारोह में महिला सिपाही से अश्लील हरकत करते पकड़ा गया भाजपा कार्यकर्ता

जनज्वार। भाजपाइयों और विवादों का चोली-दामन का साथ हो गया है। कभी कहीं कोई भाजपा नेता जहर उगलता नजर आता है तो कभी कोई हिंदू राष्ट्र का शिगूफा छेड़ता है। महिलाओं के यौन उत्पीड़न में भी इनका स्थान सर्वोपरि है, इसका उदाहरण जेल में बंद सेंगर हैं, जिन्होंने न सिर्फ युवती का बलात्कार किया, बल्कि उसके पिता को भी मरवा दिया और उसके बाद भी रेप पीड़िता को मरवाने के तमाम जतन किये। सेंगर जैसे न जाने कितने लोग भाजपा की शोभा बढ़ा रहे हैं।

ऐसे ही 23 वर्षीय भाजपा कार्यकर्ता शोएब को उस वक्त कैमरे में कैद कर लिया गया जब कल 23 जनवरी को दिन में तकरीबन साढ़े 11 बजे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत समारोह में उन्होंने एक महिला सिपाही से अश्लील हरकत की। भाजपा के नये अध्यक्ष के स्वागत समारोह के दौरान उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे पर जीरो पाइंट पर भाजपा कार्यकर्ता ने महिला सिपाही से अश्लीलता की। यही नहीं घटना का वीडियो बना रही एक महिला सब इंस्पेक्टर का फोन भी भाजपाइयों ने छीना और मीडिया से भी बदतमीजी से पेश आये।

घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने छेड़खानी करने वाले भाजपा कार्यकर्ता को तुरंत हिरासत में ले लिया। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ता को हिरासत में लिए जाने खबर की फैलते ही भाजपा कार्यकर्ता भड़क गए और उनकी पुलिस से जमकर नोकझोंक हुई। इस दौरान छेड़खानी के दोषी भाजपा कार्यकर्ता का वीडियो बना रहे मीडियाकर्मियों पर भी भाजपाइयों ने हमलावर होने की कोशिश की। जेपी नड्डा के स्वागत न्यूज को कवर कर रहे मीडियाकर्मियों के मोबाइल तक भाजपा कार्यकर्ताओं ने छीन लिये, ताकि छेड़खानी की खबर बाहर न जा पाये।

महिला सिपाही से छेड़खानी करने वाले भाजपा कार्यकर्ता पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के दौरान ही भाजपा कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गये थे। इससे संबंधित जो वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं उनमें बीजेपी कार्यकर्ता दबंगई दिखाते सरेआम पुलिसवालों को धमकाते नजर आए और पुलिसकर्मी भी कह रहे हैं कि सबकुछ रिकॉर्ड हो रहा है। इसी दौरान इसे कवर कर रहे दो मीडियाकर्मियों पर भी भाजपाइयों ने हमला बोल उनका मोबाइल छीन लिया।

इस संबंध में गौतमबुद्ध नगर की अपर पुलिस आयुक्त श्रीपर्णा गांगुली कहती हैं, 'आगरा जनपद में आयोजित एक रैली में भाग लेने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता आज ग्रेटर नोएडा होते हुए जा रहे थे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर वहां तैनात महिला पुलिसकर्मी से शोहेब पुत्र तय्यब निवासी धौलाना नाम के एक भाजपा कार्यकर्ता ने अश्लील हरकत की। महिला पुलिसकर्मी की शिकायत पर थाना बीटा-2 में आईपीसी की धारा 354 के तहत मुकदमा दर्ज कर, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।'

हथियार दलाल संजय भंडारी और आयकर अधिकारियों पर मेहरबानी

जनचौक ब्यूरो

सीबीआई के तत्कालीन चीफ आलोक वर्मा को हटाकर जब नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम चीफ बनाया गया तो उच्चतम न्यायालय ने उन्हें कोई नीतिगत निर्णय लेने से रोक दिया था। इसके बावजूद नागेश्वर राव ने हथियार दलाल और सीए संजय भंडारी, उसके दो बेटों श्रेयांस और दिव्यांग तथा सुरेश कुमार मित्तल, प्रधान आयुक्त, आयकर, दिल्ली सहित नौ आयकर अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज भ्रष्टाचार का मामला बंद करने का आदेश पारित कर दिया था। ये भंडारी वही हैं जिसका राबर्ट वाड्रा से संबंध बताया जाता है। भंडारी भारत से भाग कर इंग्लैंड में रह रहा है और उसकी भारत स्थित संपत्तियां ईडी ने जप्त कर ली हैं।

इंडियन एक्सप्रेस में 27 नवंबर 2018 को एक खबर प्रकाशित हुई थी, जिसमें कहा गया था कि तीन दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें 23 अक्टूबर के उस सरकारी आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके द्वारा उन्हें सभी जिम्मेदारियों से मुक्त करते हुए छुट्टी पर जाने को कह दिया गया था।

इसके बाद एक नया विवाद सामने आया, जिसमें कहा गया कि सीबीआई के अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव ने 11 नवंबर 2018 को एक आदेश पारित करके चार्टर्ड अकाउंटेंट संजय भंडारी और दिल्ली के तत्कालीन प्रधान आयकर आयुक्त सहित नौ आयकर अधिकारियों के खिलाफ दर्ज़ भ्रष्टाचार का मामला बंद करने का आदेश पारित किया है।

जबकि नागेश्वर राव को उच्चतम न्यायालय ने 26 अक्टूबर को निर्देश दिया था कि वह अभी से कोई भी नीतिगत निर्णय (फैसले) या कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेंगे और केवल वही नियमित कार्य करेंगे जो सीबीआई के लिए आवश्यक हैं।

वह मामला जिसके लिए 11 नवंबर को केस बंद करने का आदेश पारित किया गया था, वह जून 2016 का था जब सीबीआई ने संजय भंडारी और उनके दो बेटों श्रेयांस और दिव्यांग को एसके मित्तल, प्रधान आयुक्त, आयकर, दिल्ली सहित नौ आयकर अधिकारियों सहित भ्रष्ट आचरण में लिप्त होने के आरोप में बुक किया था। यह आरोप लगाया गया था कि ये आयकर अधिकारी भंडारी से लभान्वित होने वालों की सूची में शामिल थे और उन्होंने भंडारी के लोगों की मदद करने के एवज में अवैध लाभ लिए, जिसमें पांच सितारा होटलों में रुकने, लक्जरी कारों में यात्रा करने और फ्लाइट यात्रा शामिल थे।

यह मामला जनवरी 2015 में सीबीआई द्वारा दर्ज एक अन्य मामले से उपजा था, जिसमें संजय भंडारी का नाम संयुक्त आयुक्त सलॉन्ग याडन के साथ नामित किया गया था, जिसे कथित तौर पर श्रेयांस भंडारी से रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। राव के फैसले ने सात जून को सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के फैसले को पलट दिया, जिसमें उन्होंने मामले को बंद करने से इनकार कर दिया था और मदुरै की यात्रा के दौरान फिर से जांच के आदेश दिए थे।

राव का यह निर्णय नौ नवंबर को दिल्ली में सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक प्रवीण सिन्हा की नोटिंग से सामने आया था, जिसमें कहा गया था कि मदुरै की यात्रा के दौरान, सक्षम अधिकारी (वर्मा) ने मामले को फिर से खोलने के लिए मौखिक रूप से तब कहा था जब मामले को 13 मार्च को भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो चेन्नई ने बंद कर दिया था।

आलोक वर्मा के निर्देश की अवहेलना करते हुए, राव के आदेश में कहा गया था कि यह मामला पहले ही 13 मार्च 2018 को अंतिम रूप ले चुका है। इसलिए एचओबी (शाखा प्रमुख) तदनुसार निर्णय लें। संयोग से राव मार्च में सीबीआई के चेन्नई ज़ोन के प्रभारी संयुक्त निदेशक थे, जिन्होंने भंडारी के खिलाफ मामला बंद करने की सिफारिश की थी। अंतरिम निदेशक का पद संभालने से पहले राव को मई में दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय बुला लिया गया था।

सीबीआई के एक प्रवक्ता ने वर्मा के निर्देश के खिलाफ राव के फैसले को सही ठहराया, जिसमें कहा गया था, जांच के बाद और सबूतों के आधार पर मामले को बंद करने के लिए पूर्व निदेशक द्वारा 13 मार्च 18 को निर्णय लिया गया था। इसके बाद, अंतरिम निदेशक के समक्ष फिर से जांच के लिए फाइल पेश की गई। यदि वे इसका अनुमोदन कर देते तो यह एक नीतिगत निर्णय होता जो उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के विरुद्ध होता। इसलिए, दोबारा खोलने के अनुरोध को ठुकरा दिया गया।

गौरतलब है कि जून 2015 के आखिरी हफ्ते में अख़बारों में खबरें आईं कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस रेखा मित्तल के पति और प्रधान आयकर आयुक्त सुरेश कुमार मित्तल के साथ नौ वरिष्ठ आयकर अधिकारियों पर बीते दिनों भ्रष्टाचार के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। वहीं इससे पहले सीबीआई ने दिल्ली, मुंबई, बैंगलौर, चेन्नई, हैदराबाद और खम्माम में 17 जगहों पर छापेमारी की थी। इन शहरों में अधिकारियों और चार्टर्ड अकाउंटेंट संजय भंडारी के आवासीय और कार्यालय पर भी छापेमारी की गई।

छापों में सीबीआई ने 2.6 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, 16 लाख रुपये की नकदी, 4.25 किलोग्राम सोने के आभूषण, 13 किलोग्राम चांदी के सामान के अलावा 68 लाख रुपये की सावधि जमा रसीद भी बरामद की गई। ये सारा सामान अलग-अलग अधिकारियों के घर से मिला है।

प्रधान आयकर आयुक्त सुरेश कुमार मित्तल ने मद्रास हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में स्वीकर किया था कि भंडारी के सौजन्य से होटल में उनके साथ उनकी पत्नी जस्टिस रेखा मित्तल भी रुकी थीं। मद्रास हाईकोर्ट ने उनकी याचिका ख़ारिज कर दी थी।

सीबीआई ने सुरेश कुमार मित्तल के अलावा, बैंगलोर के अतिरिक्त आयुक्त टीएन प्रकाश, चेन्नई के उपायुक्त आरवी हारन प्रसाद के उपायुक्त एस मुरली मोहन, चेन्नई के आयुक्त विजयलक्ष्मी, मुंबई के अतिरिक्त आयुक्त एस पांडियन, मुंबई के आयुक्त आईटीएटी जी लक्ष्मी बराप्रसाद, गाजियाबाद के अतिरिक्त निदेशक विक्रम गौर और मुंबई के अतिरिक्त निदेशक राजेंद्र कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके अलावा चार्टर्ड एकाउंटेंट संजय भंडारी और उनके बेटे श्रेयांश और दिव्यांग के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था ।

इन लोगों पर आरोप है कि इन अधिकारियों ने चार्टर्ड अकाउंट और उनके बेटों से तमाम सुविधाएं ली और इसके बदले में उनके ग्राहकों को सहायता पहुंचाई। सीबीआई के मुताबिक इन आयकर विभाग के इन अधिकारियों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट संजय भंडारी और उनके बेटों से अनुचित लाभ उठाया था। दरअसल ये अधिकारी हथियार दलाल और चार्टर्ड अकाउंटेंट संजय भंडारी के पे रोल पर रहे हैं। अब यह तथ्य रहस्य के घेरे में है कि यह मामला बंद कर दिया गया है या अभी जांच लंबित है?